

विषय :

आर. क्रमांक- 113 / 2016 / 42-1

①

मा.मं.बी.त.म.शे.
को विभागW.P No. 3033 / 2015 द्वारा श्री Amit Tyagi / B. K. Tyagi
विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य। (अंकित त्यागी / बेरागी)

-:0:-

पंजी क्र.....113..... दिनांक 20 / 01 / 2016

कृपया विचाराधीन पत्र में संलग्न सहपत्रों का अवलोकन करे।
प्राप्त याचिका में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु नस्ती संचालक,
तकनीकी शिक्षा को अंकित करना चाहेंगे।

आदेशार्थ प्रस्तुत।

अनु.अधि.

H.S.

A.S.

D.F.

S.A. - VII

VII

28/1

28.1.16

29.1

30/1/16

01/02/16

2.1.16

10/1/16/113/16/42-1

23/1/2016

24/1/16

VI/26/30/1/16

आर. क्रमांक- 113 / 2016 / 42-1

विषय :

W.P No. 3033 / 2015 द्वारा श्री अश्विनी तायगी / वैरागी
विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य।

का विभाग

-:0:-

पूर्व पृष्ठ से :-

पूर्व पृष्ठ से

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसकी
छायाप्रति संलग्न है।

संचालक, तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश.

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग.

संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा प्रभारी अधिकारी
नियुक्त के आदेश जारी कर दिये हैं। उपर्युक्त
आदेश जारी करने के बाद नए विधि विभाग की
अंतिम करना चाहेंगे।

अहम:

AS(प्रशिक्षण)

विधि विभाग।

28/3/16

28/3/16

28/3/16

8497

4
05/12/15 (1)

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
Gwalior**

Process Id: 38952/2015

WP/3033/2015

मध्य प्रदेश शासन
उच्च न्यायालय
पंजी क. 113/12-1
दि. 20-12-2015

From

Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior

FOR ADMISSION
Fixed for 04-02-2016
DA- 01
Respondent No. 1
RAD

To,

589
B.T.15

The State of Madhya Pradesh, Thr.
Principal Secretary, Ministry of Technical
Education, Vallabh Bhawan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 29-12-2015

Recd
505

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo
Warranto) No. **WP/ 3033/ 2015**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Amit Tyagi / Bairagi** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/3033/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **04-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

SCM
31-12-15

SECTION OFFICER

Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior



**तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004.**

//आदेश//

/भोपाल,दिनांक 29/1/2016

क्रमांक/8/कोर्टकेस/डी/2015/92 / मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 705/146/2010/42-1 दिनांक 7.4.2010 द्वारा संचालक, तकनीकी शिक्षा को प्रदत्त अधिकारों के तहत श्री अमित त्यागी आ0स्व.श्री देवीदास बैरागी(चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) द्वारा राज्य शासन एवं अन्य के विरुद्ध माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, बैच ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत डब्ल्यू.पी.क्रमांक 3033/2015 में शासन की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षण करने, प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने एवं अभिकथन पत्रों पर हस्ताक्षर करने आदि के लिये प्राचार्य पोलीटेकनिक महाविद्यालय, अशोकनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश.

/भोपाल,दिनांक 29/1/2016

पृष्ठा. क्रमांक/8/कोर्टकेस/डी/2015/93

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।
2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, बैच ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर से प्रकरण का पक्ष समर्थन करने का कष्ट करें ।
4. समन्वय अधिकारी पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर ।
5. प्राचार्य पोलीटेकनिक महाविद्यालय, अशोकनगर । आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल शासकीय अधिवक्ता के मार्गदर्शन में वादोत्तर तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें। तथा प्रस्तुत वादोत्तर की तीन प्रति सहपत्रों सहित संचालनालय को भेजें। प्रकरण से संबंधित अभिलेख के साथ महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता से तुरन्त सम्पर्क साधकर समुचित वादोत्तर प्रस्तुत करने की आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब की जाय।
- (अ) संचालक तकनीकी शिक्षा को समय-समय पर स्थिति से अवगत कराया जाये व प्रकरण का अन्तिम निराकरण होने के उपरांत माननीय न्यायालय से निर्णय की प्रति प्राप्त करें और उस पर शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता का मत तुरन्त प्राप्त करें और उनके निर्णय/मत का तथ्यात्मक रूप से पूर्ण परीक्षण करके स्वयं के मत से भी अवगत करावें और शासकीय अधिवक्ता एवं अपने मत सहित समय पर संचालनालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करावे।
- (ब) यदि प्रकरणों में न्यायालयीन निर्णय गलत हो अथवा उसमें तांत्रिक त्रुटि हो तो उसके विरुद्ध शासन की ओर से माननीय न्यायालय में अपील पुनरीक्षण अथवा पुनरावलोकन याचिका प्रस्तुत करने की कार्यवाही समय पर ही की जाय और की गई कार्यवाही से संचालनालय एवं शासन को उक्त याचिका की प्रति सहित अवगत कराया जाये ।
- (स) प्रकरण में शासन हित संरक्षण में हुए किसी भी प्रकार के विलम्ब/गलती/हानि के लिये प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
6. अधीक्षक, उपविभाग-3 संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल । कृपया प्रभारी अधिकारी से आवश्यकतानुसार प्रकरण में पत्र व्यवहार सीधे करें।

4
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश.